राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 415/2025

राजेन्द्र सोनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
3. सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.02.2025
आदेश की दिनांक : 11.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश बिश्नोई, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर मुख्यालय अलोद सहायक निदेशक कृषि विस्तार, बूंदी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–7) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानातरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मुख्यालय कंचनपुर, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) धौलपुर में रिक्त पद पर किया गया है तथा उक्त आलोच्य आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 28.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी की पत्नी कनिष्ठ लिपिक के पद पर नैनवां क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि0 देई में कार्यरत है। राज्य सरकार की नीति रही है कि पति–पत्नी यदि राजकीय सेवा में कार्यरत है तो यथासम्भव उनको एक ही स्थान या निकटस्थ पदस्थापन रखा जावे। इस आधार पर आलोच्य आदेश राज्य सरकार की सामान्य स्थानांतरण नीति की अवहेलना में जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक

15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं आलोच्य कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 28.01.2025 (अनुलग्नक–2) विधि–विरूद्ध है।

4. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं आलोच्य कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 28.01.2025 (अनुलग्नक–2) को अपास्त कर अपीलार्थी को सहायक कृषि अधिकारी के पद पर मुख्यालय अलोद सहायक निदेशक कृषि विस्तार, बूंदी में कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।

5. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य